पत्रांक – खा०प्र० 01/P.V.T.G. डा०यो०/7–20/2020 – 09 (आवंटन)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
झारखण्ड।

/राँची, दिनांक – 28/06/2023

विषय : **वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजनान्तर्गत विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (PVTG डाकिया योजना) के कार्यान्वयन हेतु राशि रूपये 3,61,00,000.00 (रूपये तीन करोड़ एकसठ लाख) मात्र का आवंटन।**

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–760/08 (स्वी०), दिनांक 21.06.2023।

महाशय,

राज्य योजनान्तर्गत विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (PVTG डाकिया योजना) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रूपये 7,00,00,000.00 (रूपये सात करोड़) की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–760/08 (स्वी०), दिनांक 21.06.2023 द्वारा दी गई है।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (PVTG डाकिया योजना) अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के चिन्हित गोदाम से PVTG परिवार के निवास स्थान तक खाद्यान्न के परिवहन कार्य हेतु प्रक्षेत्रवार एवं जिलावार निम्नवत् राशि आवंटित की जाती है, जिसका ऑनलाईन विवरणी संलग्न है –

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रक्षेत्रवार राशि			कुल आवंटित राशि
		TSP	**OSP**	**SCSP**	
1	राँची	195700	0	0	195700
2	खूँटी	10200	0	0	10200
3	लोहरदगा	321200	0	0	321200
4	गुमला	1646600	0	0	1646600
5	सिमडेगा	135300	0	0	135300
6	प0 सिंहभूम	105800	0	0	105800
7	पूर्वी सिंहभूम	2538700	0	0	2538700
8	सरायकेला	323200	0	0	323200
9	जामताड़ा	562700	0	0	562700
10	दुमका	4315200	0	0	4315200
11	पाकुड़	6406600	0	0	6406600
12	साहेबगंज	6211900	0	0	6211900
13	लातेहार	1824300	0	0	1824300
14	गोड्डा	685600	1528900	1213400	3427900
15	गढ़वा	210300	2109800	1674400	3994500
16	देवघर	0	186400	147900	334300
17	धनबाद	0	13500	10700	24200
18	हजारीबाग	0	205500	163100	368600
19	रामगढ़	0	64700	51300	116000
20	कोडरमा	0	126300	100300	226600
21	चतरा	0	364700	289400	654100

D:\Mukesh ~ 2023-24\0. Plan_Allotment_2023-24_Combined\14. PTG\PTG_Allot------23-24.doc

22	पलामू	0	1239300	983600	2222900
23	बोकारो	0	27000	21400	48400
24	गिरिडीह	0	47400	37700	85100
	कुल	**25493300**	**5913500**	**4693200**	**36100000**

(रूपये तीन करोड़ एकसठ लाख मात्र)

3. योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–760/08 (स्वी०), दिनांक 21.06.2023 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे। राशि के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त होंगे तथा वरीय नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची होंगे।

5. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट शीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/102–सिविल पूर्ति योजना/789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–74–सुपात्र लाभुक डाकिया योजना–06–अनुदान–52–सबसिडी (विपत्र कोड: 18S34560079674010652/18S34560010274010652/18S34560078974010652) में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

6. वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.1998 एवं पत्रांक 1800, दिनांक 15.7.2003 में दिए गए दिशा–निर्देशों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम–174 का अनुपालन सख्ती से किया जाय।

9. राशि की निकासी एवं व्ययन के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन तथा व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से कराकर उसकी सूचना विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाय।

10. जिलों को आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन के पश्चात् व्यय उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलों द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय सभी जिलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा करते हुए समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन,
28/06/2023

(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–खा०प्र० 01/P.V.T.G. डा०यो०/7–20/2020–09 (आवंटन)/राँची, दिनांक –28/06/2023

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची/वरीय तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, राँची/ सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/विभागीय सचिव कोषांग/अवर सचिव, बजट प्रशाखा/प्रभारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/06/2023

सरकार के सचिव।

D:\Mukesh - 2023-24\0. Plan_Allotment_2023-24_Combined\14. PTG\PTG_Allot.------23-24.doc